कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 2 ( )2013/गोप्र/प्रमुवसं/ दिनांकः

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 25 के उपनियम (1) के प्रावधानान्तर्गत वनपाल से क्षेत्रीय ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.07.2013 को हुई जिसमें श्री कृष्ण लाल पुत्र ख्याली राम एवं इकबाल खां पुत्र इब्राहिम खां, वनपालो को क्रमशः सीसीए 16 एवं सीसीए 17 अन्तर्गत आरोप पत्र दिये जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 22.08.2013 को बन्द लिफाफे में रखी गई सिफारिश को खोले जाने पर इन वनपालो को क्षेत्रीय ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर क्षेत्रीय ग्रेड–II के वेतनमान 9300–34800, पे बेण्ड–2, ग्रेड पे–11 (3600) में दिनांक 01.04.2013 से स्थानापन्न रूप से पदोन्नति करते हुये इनका पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अंकित विवरणानुसार किये जाने के आदेश प्रचलित किये जाते हैः–

क्र. सं.	नाम वनपाल सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	एससी /एसटी	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	कृष्ण लाल	ख्याली राम		श्रीगंगानगर	उप वन संरक्षक,श्रीगंगानगर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, भादरा मण्डल, हनुमानगढ	रिक्त पद पर
2	इकबाल खां	इब्राहिम खां		जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहपुर, वन मण्डल, सीकर	रिक्त पद पर

यदि उपरोक्त पदोन्नत वनपाल दिनांक 06.09.2013 तक क्षेत्रीय ग्रेड–II के पद पर नवीन पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति नही देगें तो इनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें।

(यू. एम. सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 2 ( )2013/गोप्र/प्रमुवसं/3802-3814/C दिनांकः23.8.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त पदोन्नत वनपाल वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थापित है, उनके नियंत्रण अधिकारी उन्हें दिनांक 31.08.2013 तक क्षेत्रीय ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति पर नवीन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा नवीन पदस्थापन से सम्बन्धित कार्यालय सम्बन्धित द्वारा क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर दी गई उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि कोई वनपाल पदोन्नति उपरान्त क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर उपस्थिति देने का इच्छुक नही हो तो उनसे इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अविलम्ब अग्रेषित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/बीकानेर
2. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एंव प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर डाउन लोड करने हेतु।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर(उत्तर)/श्रीगंगानगर/सीकर/हनुमानगढ
4. अध्यक्ष, राजस्थान फोरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन, जयपुर/राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ, जयपुर
5. श्री...द्वारा उप वन संरक्षक
6. रक्षी पत्रावली

(ए.बी.रामटेके)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

DCF(IT) 27/8/13

ACF (IT) 27/8/13

3 ACF (IT) 27/8/13